(13)

न्यायालय राजस्व मंडल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : एम. गोपाल रेड्डी,
प्रशासकीय सदस्य.

प्रकरण कमांक निग0 2909–एक/16 विरूद्ध आदेश दिनांक 13.7.16 पारित द्वारा कलेक्टर, जिला सागर प्रकरण कमांक पुनरीक्षण 02/अ–12/2015.

———

धरमदास पिता वनमाली पटैल,
निवासी – साकिन महंदपुर
तहसील जिला दमोह म0प्र0 ——— आवेदक

विरूद्ध

रोशनी पुत्री हरिदास पटेल,
निवासी– साकिन पिपरिया रामनाथ
तहसील पथरिया जिला दमोह म0प्र0 ——— अनावेदक

———

आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री आर. डी. शर्मा ।
अनावेदक की ओर से अधिवक्ता श्री प्रदीप श्रीवास्तव ।

———

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 06/02/19 को पारित)

———

यह निगरानी कलेक्टर, दमोह द्वारा पुनरीक्षण प्र0क0 02/अ–12/2015–16 में पारित आदेश दिनांक 13–7–2016 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के तहत प्रस्तुत की गई हैं ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि कलेक्टर, दमोह के न्यायालय से अनावेदक हरिदास पिता वनमाली द्वारा मौजा महंदपुर में स्थित भूमि खसरा नं. 34 एवं 110/3 का सीमांकन किए जाने हेतु आवेदन तहसीलदार पथरिया को प्राप्त होने पर तहसीलदार, पथरिया द्वारा 1–11–15 को प्रकरण पंजीबद्ध कर राजस्व निरीक्षक एवं हल्का पटवारी को सीमांकन करने हेतु आदेश जारी किया गया एवं प्रकरण दिनांक 12–11–15 को नियत किया गया । दिनांक 12–11–15 को राजस्व निरीक्षक एवं हल्का पटवारी से इस आशय का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर कि वाद स्थल पर विवाद की स्थिति बनने से सीमांकन नहीं किया गया अतः सीमांकन हेतु टीम बनाई जाये । तदुपरांत तहसीलदार ने दिनांक 14–12–15 को 7 सदस्यीय टीम गठित कर उन्हें सीमांकन करने के आदेश दिए । तहसीलदार द्वारा गठित दल द्वारा दिनांक 28–12–15 को सीमांकन किया गया । उक्त

सीमांकन कार्यवाही पर मौके पर आवेदक द्वारा आपत्ति की गई । उक्त सीमांकन कार्यवाही पर मौके पर आवेदक द्वारा आपत्ति की गई । आवेदक द्वारा लिखित में भी तहसीलदार के समक्ष दिनांक 30–12–15 को आपत्ति की गई तथा उक्त आपत्तियों के आधार पर आवेदक द्वारा दिनांक 28–12–15 को किये गये सीमांकन को निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया परंतु तहसीलदार द्वारा उक्त आपत्तियों पर कोई सुनवाई नहीं की गई एवं आपत्तियों का निराकरण किए बिना आदेश दिनांक 9–2–16 द्वारा राजस्व निरीक्षक द्वारा प्रस्तुत सीमांकन रिर्पोट पर से सीमांकन की पुष्टि की गई एवं कलेक्टर भू–अभिलेख शाखा दमोह को प्रतिवेदन पृथक से भेजने के निर्देश देते हुए प्रकरण समाप्त किया गया । तहसीलदार के आदेश के विरूद्ध आवेदक ने अधीनस्थ न्यायालय में निगरानी पे ा की जो कलेक्टर ने आलोच्य आदेश द्वारा निरस्त की है । कलेक्टर, दमोह के इस आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में पेश की गई है ।

3/ आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा निगरानी मेमो में दिए गए तर्कों को दोहराते हुए कहा गया कि कलेक्टर द्वारा प्रकरण को समझने में त्रुटि की गई है । सीमांकन एवं बटांकन दो पृथक–पृथक कार्यवाहियां हैं । यह कहा गया कि तथाकथित सीमांकन राजस्व निरीक्षक व पटवारी द्वारा बिना किसी स्थाई चिन्ह या चांदा के मनमाने तौर पर किया गया है आवेदक द्वारा उक्त सीमांकन पर तहसील न्यायालय के समक्ष भी आपत्तियां की थी किंतु तहसीलदार द्वारा आवेदक की आपत्तियों पर सुनवाई एवं साक्ष्य का अवसर प्रदान किये बिना सीमांकन की पुष्टि करने में त्रुटि की गई है ।

यह तर्क दिया गया कि विवादित सर्वे नंबर 34 का मूल रकबा 1.50 हैक्टर था तब वर्तमान में इस सर्वे नंबर का रकबा 1.69 हैक्टर किस प्रकार हो गया इस पर विचार न कर सीमांकन की पुष्टि करने में तहसीलदार द्वारा त्रुटि की गई है । उक्त त्रुटि के कारण तथा मनमाने तरीके से सीमांकन करने के कारण आवेदक के स्वामित्व की भूमि सर्वे नंबर 35 में स्थित कुंआ को सर्वे नंबर 34 में दर्शाकर आवेदक का अवैध कब्जा मानना नितांत अवैध व अनुचित है ऐसे अवैध आदेश को स्थिर रखने में कलेक्टर द्वारा त्रुटि की गई है ।

यह तर्क दिया गया कि सीमांकन, बटांकन/नक्शा तरमीम न केवल संयुक्त खातेदारों की उपस्थिति में बल्कि सरहदी काश्तकारों को सूचना देकर उनकी उपस्थिति में ही किया जाना चाहिए जबकि इस प्रकरण में सीमांकन टीम द्वारा इस प्रकार की कार्यवाही न करते हुए मनमाने तरीके से सीमांकन किया गया है । सीमांकन टीम एवं अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा इस बिदु को भी पूर्णतया अनदेखा किया गया है कि आवेदक के स्वामित्व एवं अधिपत्य की भूमि तारफेंसिंग एवं मेड़ से घिरी हुई हुई है । इस कारण अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश निरस्ती योग्य हैं ।

यह भी कहा गया कि अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश के विरूद्ध इस न्यायालय में निगरानी विचाराधीन रहने तथा उक्त निगरानी में इस न्यायालय से स्थगन होने के बावजूद भी आवेदक के स्वामित्व एवं आधिपत्य की भूमि में राजस्व अभिलेखों में दर्ज कुंए को आदेश दिनांक दिनांक 30–6–17 द्वारा अनावेदक के खसरे में दर्शाते हुए राजस्व अभिलेख दुरस्त कर दिया गया है, जो स्पष्टतः इस न्यायालय के आदेश की अवमानना है ।

आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा इस न्यायालय के समक्ष सुनवाई के दौरान आवेदक धरमदास द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के आदेश के पालन में तहसीलदार के समक्ष विवादित भूमियों के रकबा दुरस्ती हेतु प्रस्तुत आवेदन पर तहसीलदार द्वारा प्र0क0 4/अ–5/2015–16 में पारित आदेश दिनांक 16–10–17 की प्रमाणित प्रति पेश की गई है, जिसमें खसरा नं. 34 का रकबा मिसल बंदोवस्त अनुसार 1.50 हैक्टर किए जाने के आदेश दिए गए हैं । उक्त आधारों पर आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेशों को निरस्त कर आवेदक की निगरानी स्वीकार करने का निवेदन किया गया है ।

4/ अनावेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा मौखिक तथा लिखित बहस में मुख्य रूप से यह तर्क दिए गए हैं कि सीमांकन आदेश दिनांक 9–12–16 के अनुसार अनावेदक के खसरा नं. 34 के अंश भाग पर, कुंआ पर आवेदक का बेजा कब्जा पाया गया था । उक्त आदेश के परिप्रेक्ष्य में राजस्व प्रकरण कमांक 110/बी–12/2016–17 में पारित आदेश दिनांक 30–6–17 के अनुसार अनावेदक के खसरा नंबरों पर कुंआ दर्ज होकर राजस्व अभिलेख दुरस्त हो चुके हैं । उक्त आधार पर कहा गया है कि उक्त स्थिति में आवेदक द्वारा प्रस्तुत यह निगरानी व्यर्थ हो चुकी है ।

यह तर्क दिया गया है कि रिवीजन में अपील के समान विचार नहीं होता रिवीजन में केवल यह विचार होता है कि अधीनस्थ न्यायालय ने क्या घोर अनियमितता प्रकरण के निराकरण में की है । आवेदक यह बताने में असमर्थ रहा है कि अधीनस्थ न्यायालयों के आलोच्य आदेशों में क्या अनियमितता या अवैधानिकता है ।

यह तर्क भी दिया गया है कि आवेदक का यह तर्क सही नहीं है कि बिना स्थायी चिन्ह या चांदा के सीमांकन किया गया है । सीमांकन प्रतिवेदन, मौका पंचनामा से स्पष्ट है कि सीमांकन टीम द्वारा सीमांकन की कार्यवाही विधिवत तरीके से चांदो का मिलान किया जाकर की गई है । आवेदक द्वारा लिए गए अन्य सभी आधार आधारहीन हैं ।

यह तर्क दिया गया है कि आवेदक द्वारा प्रकरण को मोड़ने का प्रयास किया जा रहा है । अभिलेख में बताई जा रही रकबे की त्रुटि बाद की सोच है । यदि रकबे में कोई

त्रुटि थी तो वह सन् 97–98 से अभी तक अभिलेख का मूल सुधार कराने में उदासीन क्यों रहे । उक्त आधारों पर निगरानी निरस्त किए जाने का निवेदन किया गया ।

5/ उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया एवं अभिलेखका अवलोकन किया । अभिलेख को देखने से यह पाया जाता है कि इस प्रकरण में जो सीमांकन की कार्यवाही है वह न्यायिक एवं विधिसम्मत नहीं है क्योंकि आवेदक द्वारा सीमांकन के समय यह आपत्ति ली गई कि मौके पर सीमांकन में कोई सीमा चिन्ह भी नहीं है तथा उसके खेत में फसलें खड़ी हुई हैं आपत्ति में यह भी लेख किया गया कि अनावेदक के खसरा नं. 34 का रकबा 1.50 था वर्तमान अभिलेख में 1.70 दर्ज कर दिया गया है । खसरा नं. 110 का कुल रकबा 8.89 हैक्टर है परंतु नक्शा चालू शीट में खसरा नं. 110 का रकबा 8.89 है ही नहीं तथा उक्त खसरा के नक्शा बटांक के विरूद्ध एक अपील अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष लंबित है । आपत्ति में यह भी लेख किया गया कि अपर कलेक्टर, दमोह के समक्ष ग्राम महंदपुर के प्रहलादसींग द्वारा प्रस्तुत नक्शा व रकबा दुरस्ती का प्रकरण लंबित है जिसमें राजस्व निरीक्षक द्वारा खसरा नं. 110 में से 0.45 हैक्टर भूमि की कमी करते हुए खसरा नं. 89 में समाहित करने का प्रतिवेदन दिया है इससे आवेदक व आपत्तिकर्ता का खसरा नं. 110 का सम्पूर्ण रकबा प्रभावित हो गया है । और चूंकि आवेदक एवं अनावेदक को खसरा नं. 110 की भूमि आपसी बंटवारे से प्राप्त हुई हैं तथा खसरा नं. 34 एवं 110 के नक्शा रकवे से मेल नहीं खाते हैं । उक्त स्थिति में खसरा नं. 110 का रकबा स्पष्ट हुए बिना बटांकन नहीं किया जा सकता और सही बटांकन किए बिना सीमांकन नहीं किया जा सकता है । परंतु तहसीलदार द्वारा आपत्ति पर किसी प्रकार का निर्णय लिए बिना सीमांकन कार्यवाही की पुश्टि की गई है, जो त्रुटिपूर्ण है । अभिलेख से यह भी पाया जाता है कि दिनांक 28–12–15 को किए गए तथाकथित सीमांकन पर आवेदक द्वारा दिनांक 29–12–15 को लिखित में तहसीलदार के अतिरिक्त कलेक्टर एवं अनुविभागीय अधिकारी को भी आपत्ति प्रस्तुत की गईं जो कलेक्टर एवं अनुविभागीय अधिकारी ने आवश्यक कार्यवाही हेतु तहसीलदार को भेजीं लेकिन तहसीलदार द्वारा आपत्ति का निराकरण नहीं किया गया और सीमांकन कार्यवाही की पुश्टि करदी गई, जो किसी भी दृश्टि से न्यायोचित नहीं है क्योंकि विधि का यह सर्वमान्य सिद्धांत है कि सर्वप्रथम प्रकरण में प्रस्तुत आपत्ति का निराकरण किया जाये तत्पश्चात ही प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही की जाना चाहिए ।

6/ सीमांकन तभी वैध माना जा सकता है जब सीमांकन संहिता की धारा 129 में राज्य सरकार द्वारा विहित किए गए सीमा चिन्हों के अनुसार किया जाये व सरहदी कृषकों की उपस्थिति में किया जावे और आवश्यकता पड़ने पर आसपास की भूमि का नाप किया

जाकर यह स्पष्ट किया जावे कि किस सर्वे कमांक की कितनी भूमि पर किसी अन्य सर्वे नंबर के भूधारी का कब्जा है । सीमांकन का वास्तविक अर्थ मौके पर कृषकों के वास्तविक विवाद का निराकरण है नाकि नये–नये विवाद को पैदा करना जबकि इस प्रकरण में इस प्रकार की कार्यवाही किया जाना अभिलेख से नहीं पाया जाता । अतः तहसीलदार द्वारा आवेदक द्वारा प्रस्तुत आपत्तियों का निराकरण किए बिना सीमांकन की पुष्टि किए जाने में अवैधानिक कार्यवाही की गई है । कलेक्टर के आदेश से स्पष्ट होता है कि उनके द्वारा उक्त तथ्यों को पूर्णतया अनदेखा करते हुए तहसीलदार के त्रुटिपूर्ण आदेश की पुष्टि करने में अवैधानिक कार्यवाही की गई है । इस कारण दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश निरस्ती योग्य हैं ।

7/ आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा इस न्यायालय के समक्ष सुनवाई के दौरान आवेदक धरमदास द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के आदेश के पालन में तहसीलदार के समक्ष विवादित भूमियों के रकबा दुरस्ती हेतु प्रस्तुत आवेदन पर तहसीलदार द्वारा प्र0क0 4/अ–5/2015–16 में पारित आदेश दिनांक 16–10–17 की प्रमाणित प्रति पेश की गई है, जिसमें नायब तहसीलदार द्वारा जांच उपरांत यह पाया गया है कि मिसल बंदोवस्त 1984 के खसरा अनुसार खसरा नं. 34 का रकबा 1.50 हैक्टर अभिलेख में दर्ज है तथा वर्ष 2001–02 तक 1.50 हैक्टर दर्ज रहा है बाद में वर्ष 2002–03 के खसरे में 1.69 दर्ज है । सर्वे नंबर 34 की रकबा बरारी किए जाने पर भी उसका रकबा 1.50 आने से नायब तहसीलदार ने खसरा नंबर 34 का रकबा मिसल बंदोवस्त अनुसार 1.50 हैक्टर किए जाने के निर्देश दिए हैं । उक्त आदेश के परिप्रेक्ष्य में भी सीमांकन की कार्यवाही त्रुटिपूर्ण हो जाती है । अतः प्रकरण की समग्र परिस्थितियों पर विचार के पश्चात यह पाया जाता है कि इस प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालयों के जो आदेश हैं वे त्रुटिपूर्ण एवं अवैधानिक होने से स्थिर रखे जाने योग्य नहीं हैं ।

उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह निगरानी स्वीकार की जाती हैं तथा कलेक्टर द्वारा पारित आदेश दिनांक 13–7–2016 एवं तहसीलदार, पथरिया द्वारा पारित आदेश दिनांक 9–2–16 अवैधानिक होने से निरस्त किये जाते हैं ।

(एम. गोपाल रेड्डी)
प्रशासकीय सदस्य,
राजस्व मंडल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर